जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांकः एफ/सम्बद्धता/2015/1566 दिनांकः 02 मार्च, 2015

–: सूचना :–

विश्वविद्यालय के पूर्व सूचना क्रमांक एफ/सम्बद्धता/2015/1536 दिनांक 13 फरवरी, 2015 के अनुक्रम में समस्त अशासकीय महाविद्यालयों में परिनियम 28(17) के अन्तर्गत नियुक्ति किये जाने हेतु निम्न कार्यवाही की जाती है :–

1. पूर्व सूचनानुसार दैनिक समाचार पत्र में 28(17) के अन्तर्गत नियुक्ति बाबत् निकाले गये विज्ञापन की सत्यापित प्रति (दो प्रतियों में) दिनांक 10.03.2015 तक सम्बद्धता शाखा में जमा करावें।

2. विज्ञापन उपरान्त महाविद्यालयों द्वारा प्राप्त आवेदन की संक्षेपिका (सत्यापित) बनाकर, दो प्रतियों में दिनांक 10.03.2015 तक सम्बद्धता शाखा में जमा करावें।

3. महाविद्यालय में 28(17) के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय में जमा कराये गये शुल्क की प्रति 10.03.2015 तक संबद्धता शाखा में जमा करावें।

4. महाविद्यालयों द्वारा 28(17) के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पर नियुक्ति की कार्यवाही शीघ्र की जानी है। नियुक्ति की कार्यवाही दिनांक 18.03.2015 से प्रारंभ होगी। नियुक्ति हेतु समस्त चयन समिति की बैठक जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर में ही सम्पन्न होगी।

5. विभिन्न विषयों में 28(17) के अन्तर्गत होने वाली नियुक्ति हेतु समय सारिणी शीघ्र ही विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाइट www.jiwaji.edu पर डाली जावेगी।

6. समस्त महाविद्यालय अपने यहाँ नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन के अनुसार अर्हता रखने वाले आवेदकों (Eligible Candidates) को अपने मूल दस्तावेजों के साथ विश्वविद्यालय में होने वाली चयन समिति के समक्ष (दिनांक 18.03.2015 से समय सारिणी अनुसार) उपस्थित होने के लिये तैयार रहने अथवा उपस्थित रहने हेतु, स्पीड–पोस्ट से सूचना भेजकर सूचित करें और इस पत्र एवं स्पीड–पोस्ट के रसीद की प्रति चयन समिति के समक्ष अवलोकनार्थ रखें।

समस्त महाविद्यालय बिन्दु क्रमांक 1,2,3, एवं 6 पर मांगी गई जानकारी एक पत्रावली में एकजाई कर विश्वविद्यालय में जमा करावें।

दिनांक 28.02.2015 के बाद यदि किसी महाविद्यालय द्वारा 28(17) के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु चयन समिति का आयोजन किया जाता है, तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा मान्य नहीं किया जावेगा एवं ऐसी समस्त चयन समिति दिनांक 02.03.2015 से भंग मानी जावेगी।

यदि कोई महाविद्यालय उपरोक्त सूचनानुसार अपने महाविद्यालय में परिनियम 28(17) के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु कार्यवाही नहीं करता है तो विश्वविद्यालय द्वारा आगामी सत्र से महाविद्यालय को **'अस्थाई सम्बद्धता'** देने पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

कुलसचिव